



आगरा विकास प्राधिकरण
जयपुर हाउस, आगरा।

निविदा सूचना सं०-10/वि./यां./18-19

दिनांक : 19-11-18

ई-निविदा सूचना

आगरा विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बी.ओ. वयू. धनराशि (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा मूल्य समस्त करों सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ताजगंज स्थित मोक्षधाम पर चार चिता स्थलों पर वेट स्क्रबर प्रणाली की स्थापना का कार्य।	100.00	2,00,000/-	2800/-	09 माह	विशिष्ट श्रेणी	वि./यां.

➤ उक्त कार्य की निविदा दिनांक 14.12.2018 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदा दिनांक 28.11.2018 से 13.12.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

➤ निविदा संबंधी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaagra.in पर देखी जा सकती है।

नियम व शर्तें:-


1. उक्त कार्य की निविदा दिनांक 14.12.2018 को आमंत्रित की जाती है, जो कि उरी दिन 12:30 के अपरान्ह खोली जायेगी।
2. निविदा दिनांक 28.11.2018 के अपरान्ह 12:30 बजे से दिनांक 13.12.2018 के अपरान्ह 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
3. निविदा के साथ रु 100/- का स्टाम्प पेपर एवं रु 02/- का रसीदी टिकट अपलोड करना होगा।
4. (क) वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या-540002010006001 (बैंक का नाम/पता-यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, ए.डी.ए. ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू.टी.आर. नम्बर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
(ख) धरोहर धनराशि एफ.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से जमा की जा सकती है। राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. अथवा एन.एस.सी. जो कि अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।
5. निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदादाता स्थल निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
6. प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
7. विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की बाध्यता न होगी। सफल निविदादाता को पंजीकरण की औपचारिकता पूर्ण करनी होगी।
8. निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

9. शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 ऑडिट/08 टी.सी. 2, दिनांक 08 जून, 2012 लो.नि.वि. में दिये गये प्राविधानों के अनुसार विभागीय दर से 10 प्रतिशत निम्न तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न डालने पर 1 प्रतिशत कम दर सिवयोरिटी/परफारमेन्स गारन्टी सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध के समय अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
10. सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी. एवं अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता कम्पनी के निदेशक या फर्म के पार्टनर को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी फर्म या कम्पनी में न तो वह स्वयं पार्टनर है न ही निदेशक है तथा उसका कोई निकटतम सम्बन्ध जैसे-पिता, माता, पुत्र, पुत्री पत्नी एवं भाई आदि भी प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य किसी फर्म में पार्टनर नहीं है अथवा प्रश्नगत निविदा प्रक्रिया में भागीदार अन्य किसी कम्पनी में निदेशक नहीं है।
12. विद्युत सम्बन्धी कार्य उ.प्र. पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशिष्टियों के अनुरूप तथा सिविल कार्य उ.प्र. लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
13. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेंगी।
14. रू० 40.00 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
15. निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में हस्तान्तरित की जा सके।

अधिशायी अभियन्ता
(वि०/या०)

पत्रांक : 1043/डी/ई.ई.(ई.)/2018, दिनांक : 19-11-18
प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव/वित्त नियन्त्रक महोदय को सूचनार्थ।
3. प्रभारी निविदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- ✓ 4. जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेबसाइट एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें।
5. नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


अधिशायी अभियन्ता
(वि०/या०)